

फा0सं0 14/63/2011-एस0 आर0 (एस0)  
भारत सरकार  
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक नायक भवन, खान मार्किट,  
नई दिल्ली - 110003  
दिनांक 29/03/2012

सेवा में,

29 MAR 2012

1. प्रमुख सचिव,  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग,  
मंत्रालय, वल्लभ भवन,  
भोपाल, मध्य प्रदेश - 462004 ।
2. प्रमुख सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग,  
मंत्रालय, डी के भवन,  
रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

विषय:- पूर्ववर्ती म. प्र. राज्य के जल संसंधान विभाग के कर्मियों के अभ्यावेदन पर राज्य पुर्नआवंटन के सम्बन्ध में  
महोदय,

निदेशानुसार मुझे यह कहने का है कि जल संसंधान विभाग के निम्नलिखित पाँच (5) राज्य कर्मियों ने उनके छत्तीसगढ़ राज्य आवंटन के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिकायें दायर की हैं और इन कर्मियों की याचिकाओं पर विचार करते हुए माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उनके अभ्यावेदन पर भारत सरकार को विचार करने के निर्देश दिये हैं ।

2. राज्य सलाहाकार समिति की बैठक में 23.01.2012 को उनके प्रशासी विभाग के मंतव्य के आलोक में उनके प्रकरण पर विचार हुआ और समिति ने उनके राज्य पुर्नआवंटन की अनुशंसा की है। भारत सरकार ने समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया है। अतः जल संसंधान विभाग के निम्नलिखित पाँच (5) कर्मियों का राज्य पुर्नआवंटन छत्तीसगढ़ राज्य से मध्य प्रदेश राज्य किया जाता है ।

क्रम सं.	कर्मियों का नाम/पदनाम	डब्ल्यू. पी.
1	श्री मुनिश्वर सिंह धाकरे, उपयंत्री	4973/2006
2	श्री बाबू लाल सौलकी, उपयंत्री	5217/2006
3	श्री ओ. पी. मोरे, उपयंत्री	5097/2000
4	श्री कैलाश चन्द्र मोये, उपयंत्री	6462/2006
5	श्री महिपाल सिंह डाबर, उपयंत्री	1165/2003

3 इस आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार उपरोक्त कर्मियों के राज्य पुर्नआवंटन के आदेश जारी करके इस विभाग को अवगत कराये । इससे पहले इस आदेश की सत्यता इस विभाग की वैबसाईट (persmin.nic.in →Dopt → State reorganization →recent orders → M.P.) पर जाँच लें ।

भवदीय,  
महेन्द्र सिंह  
( महेन्द्र सिंह शर्मा )  
अवर सचिव  
दूरभाष : 24651898

प्रति:-प्रमुख सचिव, जल संसंधान विभाग, बल्लभ भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश ।  
प्रमुख सचिव, जल संसंधान विभाग, डी.के.एस.भवन, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

प्रतिलिपि:-

- सम्बन्धित मिसिल  
14/54/07,- एस.आर. एस,  
14/13/06, -एस. आर.एस.,  
14/56/07 ,-एस.आर. एस.  
14/66/011, -एस.आर.एस.

